न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2021/54 **दायरा दिनांक : 24.03.2021**

उनवान

जमुनालाल पुत्र धूलीलाल, जाति अहीर, निवासी दौलतपुरा, तहसील बारां, जिला बारां (राज0) .... अपीलांट

बनाम

1– कृष्णमुरारी पुत्र धूलीलाल, जाति अहीर, निवासी दौलतपुरा, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)

2– रूपेश कुमार पुत्र रामरतन

3– विष्णु कुमार पुत्र रामरतन

4– संतोष देवी पत्नी रामरतन
जाति अहीर, निवासीगण नलखेडी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (राज0)

5– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां (राज0) .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री ओ. पी. मेंहता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

दिनांक : 17.12.2024

निर्णय

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 192/2018 निर्णय व डिक्री 29.01.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 48, 49, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 136 एल. आर. एक्ट पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम दौलतपुरा, पटवार हल्का इकलेरा की आराजी खाता संख्या नया 48 पुराना 50 की सम्वत 2071–74 आराजी खसरा नम्बर 203 रकबा 0.30 हेक्टर खसरा नम्बर 366 रकबा 1.50 हेक्टर, खसरा नम्बर 472 रकबा 2.95 हेक्टर, खसरा नम्बर 473 रकबा 0.10 हेक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 4.85 हेक्टर में से खसरा नम्बर 472 रकबा 2.95 हेक्टर, खसरा नम्बर 473 रकबा 0.10 हेक्टर को विवादग्रस्त आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। इसी प्रकार ग्राम दौलतपुरा, पटवार हल्का इकलेरा की खाता संख्या नया 27 पुराना 26 सम्मन 2071–74 की खसरा नम्बर 191 रकबा 0.27 हेक्टर, खसरा नम्बर 467 रकबा 0.49 हेक्टर, खसरा नम्बर 471/524 रकबा 0.10 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 0.86 हेक्टर में से खासरा नम्बर 467 रकबा 0.49 हेक्टर व खसरा नम्बर 471/524 रकबा 0.10 हेक्टर को विवादग्रस्त आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। तथा ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का इकलेरा की खाता संख्या नया 201 पुराना 192 सम्वत 2071–74 की खसरा नम्बर 471 रकबा 3.34 हेक्टर को वादपत्र में विवादग्रस्त आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29.01.2021 से वाद वादी खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य का ठीक प्रकार से विवेचन नहीं किया

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

गया न न्याय की मंशा को समझने का प्रयास किया गया, मनमाना विधि विरूद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 29.01.2021 पारित की गई है जो खिलाफ कानून होने से काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। सेटलमेंन्ट सम्वत 2038–57 के पूर्व साबिक खसरा नम्बर 335 रकबा 45 बीघा 8 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 467 रकबा 0.49 हेक्टर, खसरा नम्बर 471 रकबा 3.34 हेक्टर, खसरा नम्बर 471/524 रकबा 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 472 रकबा 2.95 हेक्टर, खसरा नम्बर 473 रकबा 0.10 हेक्टर कायम किये गये जबकि सेटलमेंन्ट से पूर्व खसरा नम्बर 335 रकबा 45 बीघा 8 बिस्वा में उत्तरी ओर का 22 बीघा 14 बिस्वा अपीलांट के हिस्से में व दक्षिणी ओर का 22 बीघा 14 बिस्वा रेस्पोडेंट क्रम 1 कृष्णमुरारी के नाम दर्ज किया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग ने सम्वत 2038–57 में साबिक खसरा नम्बर 335 रकबा 45 बीघा 8 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 467 रकबा 0.49 हेक्टर, खसरा नम्बर 471 रकबा 3.34 हेक्टर, खसरा नम्बर 471/524 रकबा 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 472 रकबा 2.95 हेक्टर, खसरा नम्बर 473 रब्बा 0.10 हेक्टर दर्ज किये गये जिसमें से अपीलांट के नाम खसरा नम्बर 472 रकबा 2.95 हेक्टर व खसरा नम्बर 473 रकबा 0.10 हेक्टर कुल 3.05 हेक्टर दर्ज किया गया जबकि 22 बीघा 14 बिस्वा का रकबा कम दर्ज किया गया है तथा रेस्पोडेंट क्रम 1 कृष्णमुरारी के नाम खसरा नम्बर 467 रकबा 0.49 हेक्टर, खसरा नम्बर 471/524 रकबा 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 471 रकबा 3.34 हेक्टर दर्ज किया गया है जो साबिक खसरा नम्बर 335 रकबा 45 बीघा 8 बिस्वा का 1/2, 22 बीघा 14 बिस्वा का अधिक दर्ज किया गया है इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गोर नहीं कर पत्रावती में रिकार्ड होते हुये भी ठीक प्रकार से अवलोकन नहीं किया गया, न न्याय की मंशा को समझने का प्रयास किया गया, न विवेक का इस्तेमाल किया गया मनमाना व विधि विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.01.2021 पारित की गई है जो खिलाफ कानून विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर भी कोई गौर नहीं किया गया कि सेटलमेंन्ट से पूर्व ही अपीलांट रेस्पोडेंट कम 1 को साबिक खसरा नम्बर 335 रकबा 45 बीघा 8 बिस्वा का एक/दो, एक/दो हिस्सा दिया गया जिसमें अपीलांट को 1/2 हिस्से के रूप में 22 बीघा 14 बिस्वा उत्तरी ओर का व रेस्पोडेंट कम 1 को दक्षिणी ओर का 22 बीघा 14 बिस्वा हिस्सा प्राप्त हुआ उसी अनुसार सेटलमेंन्ट विभाग को नये पुराने नम्बर बनाना चाहिये था किन्तु सेटलमेंन्ट विभाग सम्वत 2038–57 द्वारा गलत रूप से दक्षिणी ओर के खसरा नम्बर अपीलांट के नाम व उत्तरी ओर के रेस्पोडेंट क्रम 1 के नाम दर्ज कर दिये गये जबकि मौके पर आज भी सेटलमेंन्ट की पूर्व की स्थिति अनुसार ही काबिज काश्त चले आ रहे हैं इस पर कोई गौर नहीं करके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिकी दिनांक 29.01.2021 पारित की गई है जो खिलाफ कानून होने से काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां का निर्णय व डिकी दिनांक 29.01.2021 निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट का वाद डिकी किया जाकर राजस्व रिकार्ड में मौके के अनुसार खाता दुरुस्त करने व अपीलांट का हिस्सा सेटलमेंन्ट विभाग द्वारा कम दर्ज किये गये की पूर्ति कर उसका नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में 2 ता 4 ने इकबाली जवाब पेश किया था। मौके अनुसार दुरूस्ती में आपत्ति नहीं है। सम्वत 2027 से 2030 की जमाबंदी में कुल 76 बीघा 6 बिस्वा खसरा नं. 56 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 237 रकबा 17 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं. 301 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं. 304 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 335 रकबा 45 बीघा 8 बिस्वा सम्वत 2031 – 2034 की जमाबंदी में जमनालाल को वादग्रस्त आराजी 38 बीघा 12 बिस्वा, कृष्णमुरारी को वादग्रस्त आराजी 38 बीघा 14 बिस्वा दिये, परन्तु जो मिन नम्बर बनाये वे गलत है। खसरा नम्बर 56 के दो नम्बर 152 रकबा 0.59 हेक्टर जमना लाल को एवं 153 रकबा 0.76 हेक्टर कृष्णमुरारी को दिये। खसरा नम्बर 237 के जो मिन नम्बर बनाये वे मौके के अनुसार नहीं बनाये रकबे का विवाद नहीं है, केवल नक्शे में दुरूस्ती का विवाद है। जमना लाल के वर्तमान कब्जे में खसरा नं. 467 रकबा 0.49 हेक्टर, खसरा नं. 471 रकबा 3.34 हेक्टर, खसरा नं. 471/524 रकबा 0.10 हेक्टर आराजी मेंरे पजेशन में है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके व कब्जे के अनुसार इकबाली जवाब के अनुसार निर्णय पारित नहीं किया है। प्रतिवादी नं. 2 ता 4 ही क्रेता हैं। अधीनस्थ न्यायालय में पुरानी जमाबंदियां, नक्शा, मिलान क्षेत्रफल पेश किया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कहा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये। धारा 136 एल.आर.एक्ट के बाबत तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। अतः मौके के अनुसार दुरूस्ती कर दावा स्वीकार किया जावे।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील का गहनता से अवलोकन किया।

अपीलांट वादी की ओर अन्तर्गत धारा 48, 49, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् एक वाद अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां में प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम दौलतपुरा की खाता संख्या नया 48 सम्वत 2071–74 की आराजी खसरा नं. 203 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नं. 366 रकबा 1.50 हैक्टर, खसरा नं. 472 रकबा 2.95 हैक्टर, खसरा नं. 473 रकबा 0.10 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 4.85 हैक्टर में से **खसरा नं. 472 रकबा 2.95 हेक्टर, खसरा नं. 473 रकबा 0.10 हैक्टर विवादग्रस्त आराजी** है। इसी प्रकार ग्राम दौलतपुरा की खाता संख्या 27 सवंत 2071–74 की आराजी खसरा नं. 191 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नं. 467 रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा नं. 471/524 रकबा 0.10 हैक्टर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.86 हेक्टर में से **खसरा नं. 467 रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा नं. 471/524 रकबा 0.10 हैक्टर को ही विवादग्रस्त आराजी** के नाम से संबोधित किया गया है।

वादी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में यह अनुतोष चाहा गया है कि ग्राम दोलतपुरा की आराजी खसरा नं. खसरा नं. 467 रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा नं. 471/524 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नं. 471 रकबा 3.34 हैक्टर, में से 3.05 हेक्टर वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। इसी प्रकार ग्राम दौलतपुरा के आराजी खसरा नं. 471 रकबा 3.34 हेक्टर में सें 0.29 हेक्टर, खसरा नं. 472 रकबा 2.95 हैक्टर, खसरा नं. 473 रकबा 0.10 हैक्टर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज की जावे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां ने अपने निर्णय दिनांक 29.01.2021 से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से पूर्णतया प्रमाणित

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

नहीं होना मानते हुए वाद वादी खारिज कर डिकी जारी की गयी। इस निर्णय से अप्रसन्न होकर वादी अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार प्रदर्श 6 में जमाबंदी सवंत 2027–30 में खसरा नं. 56 रकबा 7.19 बीघा, खसरा नं. 237 रकबा 17.04 बीघा, खसरा नं. 301 रकबा 2.19 बीघा, खसरा नं. 304 रकबा 3.16 बीघा, खसरा नं. 335 रकबा 45.08 बीघा कुल किता 5 रकबा 77.06 बीघा भूमि कृष्णमुरारी वल्द धूली लाल कौम अहीर सा.देह नाम दर्ज रिकार्ड है।

प्रदर्श 8 के अनुसार मुताबिक आदेश डिकी संख्या 511 दिनांक 03.06.1974 व तहसील आदेश कमांक 134 दिनांक 04.06.1974 के अनुसार खसरा नं. 56 रकबा 3.19 बीघा, खसरा नं. 237 रकबा 08.12 बीघा, खसरा नं. 301 रकबा 1.09 बीघा, खसरा नं. 304 रकबा 1.18 बीघा, खसरा नं. 335 रकबा 22.14 बीघा कुल किता 5 रकबा 38.12 बीघा जमनालाल वल्द धूलीलाल कौम अहीर सा.देह के नाम नामान्तरण संख्या 159 दिनांक 15.06.1974 से दर्ज हुई है।

प्रदर्श 9 के अनुसार जमाबंदी सम्वत 2031 से 34 में खातेदार जमना लाल का विवादित खसरा नं. 335 रकबा 22.14 बीघा एवं खातेदार कृष्णमुरारी का विवादित खसरा नं. 335 रकबा 22.14 बीघा का जो बटा नम्बर बना है वो जमाबंदी में अस्पष्ट है जिसके कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि खातेदार कृष्ण मुरारी एवं खातेदार जमना लाल के खाते खसरा नं. 335/384 एवं 335/285 में से कौनसा खसरा नम्बर किसकी खातेदारी में दर्ज है। प्रदर्श 13 में उपलब्ध नक्शे में खसरा नं. 335/385 खसरा नं. 335/384 से उत्तर दिशा में स्थित है परन्तु जमाबंदी में बटा नम्बर अस्पष्ट होने के कारण अपीलांट वादी खातेदार किस दिशा में बैठा है, नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता है।

प्रदर्श 10 के अनुसार सेटलमेंट जमाबंदी सम्वत् 2038–57 खसरा नं. 152 रकबा 0.59 हैक्टर, खसरा नं. 203 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नं. 366 रकबा 1.50 हैक्टर, खसरा नं. 472 रकबा 2.95 हैक्टर, खसरा नं. 473 रकबा 0.10 हैक्टर किता 5 रकबा 5. 44 हेक्टर जमनालाल वल्द धूलीलाल कौम अहीर सा.देह दर्ज रिकार्ड है।

प्रदर्श 11 के अनुसार सेटलमेंट जमाबंदी सम्वत् 2038–57 खसरा नं. 153 रकबा 0.76 हैक्टर, खसरा नं. 191 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नं. 204 रकबा 0.38 हैक्टर, खसरा नं. 341 रकबा 1.31 हैक्टर, खसरा नं. 467 रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा नं. 471 रकबा 3.34 हेक्टर किता 6 रकबा 6.55 हेक्टर कृष्णमुरारी वल्द धूली लाल कौम अहीर सा.देह नाम दर्ज रिकार्ड है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सैटलमेंट पूर्व अपीलांट जमुनालाल एवं रेस्पोडेंट कृष्णमुरारी दोनों के खाते विवादित आराजी का रकबा समान रूप से दर्ज था परन्तु सेटलमेंट बाद अपीलांट जमनालाल का रकबा कृष्णमुरारी से कम दर्ज हुआ।

प्रदर्श 3 जमाबंदी सम्वत 2071 से 74 के अनुसार खसरा नं. 191 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नं. 467 रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा नं. 471/524 रकबा 0.10 हेक्टर किता 3 रकबा 0.86 हेक्टर कृष्णमुरारी वल्द धूली लाल कौम अहीर सा.देह नाम दर्ज रिकार्ड है।

प्रदर्श 4 जमाबंदी सम्वत 2071 से 74 के अनुसार खसरा नं. 471 रकबा 3.34 हैक्टर प्रतिवादी कम 2 लगायत 4 के नाम दर्ज रेकार्ड है जो पूर्व में कृष्णमुरारी वल्द धूलीलाल के नाम दर्ज रिकार्ड है।

प्रदर्श 12 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार :–

वर्तमान खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	साबिक ख.नं.
467	0.49	335/385 मिन
471	3.34	335/385 मिन
472	2.95	335/384 मिन
473	0.10	335/384 मिन

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी नं 2 लगायत 4 द्वारा अपने जवाब दावे में अंकन किया है कि ग्राम दौलतपुरा खसरा नं. 471 रकबा 3.34 हेक्टर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रतिवादी क्रम संख्या 1 कृष्णमुरारी से क्रय किया है। जिसमें कृष्णमुरारी तत्समय जिस स्थान पर काबिज था उसी स्थान पर दखल दिया गया है। उसी अनुसार प्रतिवादी 2 लगायात 4 काबिज काश्त है। अतः सेटलमेंट विभाग द्वारा जो गलती की है, उसे दुरूस्त कर जो रकबा अधिक दर्ज किया गया वो प्रतिवादी क्रम 1 कृष्णमुरारी के आराजी में से कम की जाये।

विवेचन :– सेटलमेंट जमांबदी के अनुसार सम्वत् 2038–57 खसरा नं. 152 रकबा 0.59 हैक्टर, खसरा नं. 203 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नं. 366 रकबा 1.50 हैक्टर, खसरा नं. 472 रकबा 2.95 हैक्टर, खसरा नं. 473 रकबा 0.10 हैक्टर **किता 5 रकबा 5.44 हेक्टर जमनालाल वल्द धूलीलाल कौम अहीर सा.देह दर्ज रिकार्ड है।** एवं खसरा नं. 153 रकबा 0.76 हैक्टर, खसरा नं. 191 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नं. 204 रकबा 0.38 हैक्टर, खसरा नं. 341 रकबा 1.31 हैक्टर, खसरा नं. 467 रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा नं. 471 रकबा 3.34 हेक्टर किता **6 रकबा 6.55 हेक्टर कृष्णमुरारी वल्द धूली लाल कौम अहीर सा.देह नाम दर्ज रिकार्ड है। दौराने सेटलमेंट खातेदार जमनालाल का रकबा कृष्णमुरारी के मुकाबले 1.11 हेक्टर कम होना साबित होता है जबकि सेटलमेंट से पूर्व दोनो का रकबा लगभग समान था जो कि दुरूस्त किये जाने योग्य है।**

विवादित खसरा नं. 335 के हाल खसरा नं. 467, 471, 472 व 473 बने है जिनमें से खसरा नं. 471 रकबा 3.34 हेक्टर का बेचान प्रतिवादी क्र. 2 लगायत 4 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र करने के उपरांत **कृष्णमुरारी के खातेदारी में खसरा नं. 467 रकबा 0.49 ही शेष रहता है जिसमें से कमी बेशी की पूर्ति किया जाना उचित होगा।**

वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर किस – किस दिशा में काबिज काश्त है पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज से साबित नहीं होने से हम पत्रावली पुनः अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.01.2021 अपास्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाकर निर्देशित किया जाता है कि वादी अपीलांट के खातेदारी में सेटलमेंट पूर्व व सेटलमेंट बाद दर्ज रकबे तथा राजस्व नक्शे एवं मौके पर कब्जे काश्त की स्थिति के सन्दर्भ में तहसीलदार, बारां से विस्तृत जॉच करवाकर अपीलांट एवं रेस्पोडेंट की खातेदारी में दर्ज विवादित आराजी के रकबे एवं राजस्व नक्शा तथा मौके पर कब्जे काश्त की स्थिति के सन्दर्भ में स्पष्ट रिपोर्ट मय राजस्व नक्शा प्राप्त कर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए विवादित आराजी के रकबे एवं नक्शे में संशोधन अपेक्षित होने की स्थिति में तहसीलदार को संशोधन के सन्दर्भ में स्पष्ट निर्देश प्रदान करते हुए पुनः तनकीवार विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.02.2025 को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/12/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा